मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राज0 जयपुर
7979
5-11-80

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ 11(26)राज-8/80 जयपुर, दिनांक 1-11-1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72 एफ0आर0आई0/डब्लू0एफ0एफ दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 35 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली सवाई माधोपुर जिले में आने वाली भूमि को उनके परिस्थितिक प्राणी जातिय वनस्पतीय, भू संरचना, संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी जातिय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा वन्य जीव "राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है, जिसे भविष्य में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जावेगा जो उक्त अधिनियम या तत्धीन बनाये गए नियमों या जारी किए गऐ आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा ।

अनुसूचि

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का विवरण (देखिए भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 35-2)

1- उत्तर से सीमा रेखा -	बस्सों से खण्डार ग्राम अणतपुरा से होती हुई सडक ।
2- पूर्व-आरक्षित वन खण्ड खण्डार	ए-कम्पार्टमेन्ट 13 से 32 एवं 34 बी-कम्पार्टमेंट 2,3 एवं 5 से 22 सी-कम्पार्टमेंट 12 से 36
3-दक्षिण आरक्षित वन खण्ड सवाई माधोपुर मुख्य (मेन)	कम्पार्टमेंट 8 से 19
4- पश्चिमी आरक्षित वन खण्ड सवाई माधोपुर	ए-कम्पार्टमेंट 8 से 26 एवं 30,31,34,3 44,45

राज्यपाल के आ दे श से

(आनन्दमोहन लाल)
शासन सचिव

कृ0प0उ0 -2

क्रमांक/एफ 1(826)राज-8/80 जयपुर, दिनांक 1-11-80

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।

~~7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर~~

8- जिलाधीश, जयपुर

9- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक अनुभाग-8 को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित ।

10- गार्ड फाईल ।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

3- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।

(हस्ताक्षर)
(म. म. सिंघवी)
उप शासन सचिव

एम0पी0बैरवा/28-10-80

[illegible] Type [illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
2. क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, सरिस्का.
3. वन संरक्षक राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर
4. उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, घना पक्षी विहार भरतपुर
5. समस्त मंडल वन अधिकारी एवं गाइड फाइल

(हस्ताक्षर)
वन संरक्षक (वन्य जीव)
राजस्थान, जयपुर